न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

ठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस,
र्थना पत्र संख्या : 20/2023 (64/2023)
रीख रजू : 01.09.2023 (13.03.2023) निर्णय दिनांक : 05.03.2024

उनवान

1. ग्राम पंचायत शुक्लाबास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. नाहरसिंह मीणा पुत्र सोणाराम उप सरपंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. राहुल सोनी पुत्र सुरेश सोनी वार्ड पंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
4. राधेश्याम पुत्र उमराव प्रसाद यादव जाति यादव निवासी ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
5. ओमकार पुत्र मोतीराम यादव निवासी ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़। ....प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. लीलाराम पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर तहसील पावटा जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. रामपाल पुत्र स्व0 जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर तहसील पावटा जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
4. वेदप्रकाश पुत्र रूडमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
5. शिवकुमार पुत्र रूडमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
6. विष्णुदत्त पुत्र रूडमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
7. गिरधर शंकर पुत्र रूडमल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
8. योगेश कुमार पुत्र रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी एफ 45 गली संख्या 1 गंगा विहान दिल्ली, हाल आबाद 11/134 सेक्टर 3, राजेन्द्र नगर साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश।
9. खेमचन्द पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर तहसील पावटा जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।
10. हरिराम पुत्र स्व0 जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर तहसील पावटा जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

11.छाजूराम पुत्र स्व0 जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मीरापुर तहसील पावटा जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

12.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

13.सब रजिस्ट्रार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

14.नत्थूराम पुत्र प्रभात यादव पंच ग्राम पंचायत शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़। ....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर, जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ उनवानी ग्राम पंचायत शुक्लाबास व अन्य बनाम वेदप्रसाद व अन्य।

स्थितः–

1. श्री मुकेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री बजरंगलाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 11 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.03.2024

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 13.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद दुरुस्ती घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी ग्राम पंचायत शुक्लाबास व अन्य बनाम वेदप्रकाश व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष पेश किया गया था जिसे जिला कलक्टर जयपुर के आदेश से उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर में स्थानान्तरण किया गया था जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर व उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार रावत ने व अप्रार्थी संख्या 2 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर व उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली दोनों का स्थानान्तरण हो चुका है तथा पूर्व मे उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली में विचाराधीन थी। अतः

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

उक्त पत्रावली को पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली को स्थानान्तरण कर दिया जाने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 11 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथन पर सहमति व्यक्त करते हुए उक्त पत्रावली को पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली को स्थानान्तरण कर दिया जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि तत्कालिन पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर व उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड का स्थानान्तरण हो चुका है तथा उभय पक्षकारान को भी कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्ष प्रकरण को पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ में सुनवाई हेतु सहमत होने से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवान ग्राम पंचायत शुक्लाबास व अन्य बनाम वेदप्रकाश व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ को अन्तरण किया जाने किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर व उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड